



Neutral Citation No. - 2026:AHC:196

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3960 वर्ष 2025

अजीत यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जया नाथ पटेल, मयंक शेखर सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 (तहसीलदार, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर) को निर्देशित/आदेशित किया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 5150/2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202414360305150) में पारित दिनांक 25.7.2025 के आदेश को, इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के भीतर, स्थल पर निष्पादित करे।”

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की कार्यवाही में विवादित भूखण्ड के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4, 5 एवं 6 के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.7.2025 को बेदखली एवं हर्जाना का अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उक्त आदेश का स्थल पर अनुपालन नहीं कराया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.7.2025 के आदेश के अनुपालन में विवादित भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत लोकहित याचिका पोषणीय नहीं है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में विवादित भूखण्ड के संबंध में तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.7.2025 को बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है।
7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में उपाय विनिर्दिष्ट है; अतः धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत लोकहित याचिका पोषणीय नहीं है।
8. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ निरस्त की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में निहित प्रावधानों के अनुसार विधि के अनुरूप समुचित कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 5, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।